झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मदरसा परीक्षा - 2013 के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 69/2012

एतद् द्वारा मदरसा परीक्षा – 2013 के लिए पंजीकृत होने वाले सभी छात्र–छात्राओं, अभिभावकों, प्रधान मौलवी एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सादा पंजीयन आवेदन प्रपत्र "झारखण्ड अधिविद्य परिषद्" कार्यालय राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के मदरसा "क्षेत्रीय कार्यालय" दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के मदरसा "प्रमण्डलीय कार्यालय" मेदिनीनगर से दिनांक 29.08.2012 से 30.08.2012 तक प्राप्त कर लें।

पंजीयन आवेदन पत्र जमा करने का कार्यक्रम

क्रम. सं.	प्रमण्डल का नाम	भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि			
		बिना विलम्ब शुल्क के		विलम्ब शुल्क सहित	
		मदरसा में	परिषद् में	मदरसा में	परिषद् में
01	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल	15.09.2012	17.09.2012	26.09.2012	28.09.2012
02	उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल	16.09.2012	18.09.2012	26.09.2012	28.09.2012
03	पलामू प्रमण्डल	15.09.2012	17.09.2012	26.09.2012	28.09.2012
04	संथाल परगना				
	दुमका+साहेबगंज	15.09.2012	17.09.2012	26.09.2012	28.09.2012
	देवघर+पाकुड़	16.09.2012	18.09.2012	26.09.2012	28.09.2012
	गोड्डा+जामताड़ा	17.09.2012	19.09.2012	26.09.2012	28.09.2012
05	कोल्हान प्रमण्डल	15.09.2012	17.09.2012	26.09.2012	28.09.2012

✲ संथाल परगना प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र प्रण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा लिये जायेंगे।

शुल्क

(क) पंजीयन आवेदन प्रपत्र : रू. 40/– प्रति आवेदन पत्र, (ख)पंजीयन शुल्क (नियमित के लिए) : रू. 70/– प्रति छात्र
(ग) अनुमति शुल्क Non-Collegiate के लिए: रू. 200/– प्रति छात्र, (घ) पंजीयन विलम्ब शुल्क : रू. 150/– प्रति छात्र
(ङ) विविध शुल्क : रू. 20/– प्रति छात्र

विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" राँची के नाम, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिए "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" दुमका के नाम तथा परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर के लिए "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" डाल्टेनगंज के नाम देय एवं भुगतेय होगा।

1. वर्ग वस्तानियाँ में केवल नियमित(Regular)छात्र/छात्राओं का पंजीयन होगा।
2. वर्ग वस्तानियाँ के लिए आयु सीमा 12 वर्ष, फौकानियाँ के लिए 14 वर्ष एवं मौलवी के लिए 16 वर्ष होना अनिवार्य है। वस्तानियाँ के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं की जन्म तिथि दिनांक 01-09-2001 तक होनी चाहिए उसके बाद की जन्म तिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही सभी मरदसा प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहना है कि छात्रों की वास्तविक जन्म तिथि ही अंकित करें अन्यथा जन्म तिथि में गड़बड़ी पाये जाने पर मदरसा प्रधानों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
3. पंजीयन आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में है, जिसमें श्वेत–श्याम (Black & White) फोटो ही चिपकावें। आवेदन प्रपत्र के पहले भाग (कार्यालय प्रति) के फोटो मदरसा प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित होगा तथा दूसरे भाग (कम्प्यूटर प्रति) के फोटो बिना अभिप्रमाणित तथा बिना मुहर का ही रहेगा।
4. फोटो के बाक्स के नीचे दिए छोटे बाक्स में ही छात्र को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
5. पंजीयन आवेदन प्रपत्र काली स्याही से ही भरे जायेंगे।
6. पंजीयन आवेदन प्रपत्र ओवर राइटिंग, काट–छाँट होने तथा मदरसा प्रधान के हस्ताक्षर के स्थान पर Facsimile उपयोग करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
7. Non-Collegiate छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परिषद् से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिसका डाटा अलग तैयार करना है। Non-Collegiate छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरते समय न्यायालय द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि इस बीच किसी अन्य संस्था से शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं। साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय एवं आचरण प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
8. निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. पंजीयन आवेदन प्रपत्र नि:शुल्क दी जाएगी परन्तु पंजीयन आवेदन प्रपत्र का निर्धारित शुल्क भरे हुए पंजीयन आवेदन के साथ जमा करना आवश्यक होगा। बचे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र को विवरणी के साथ परिषद् कार्यालय में वापस किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा उसका निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
10. मदरसा परीक्षा, 2013 के वस्तानियाँ परीक्षा के लिए वर्ष 2010 के पंजीयन को मान्यता दी जाएगी।
11. डाक द्वारा भेजा गया पंजीयन आवेदन–पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/10660/12/SECY/382/12 Dt. 28.08.12
D.O.P : 29.08.12